

संख्या- 825 /एक-10-2023-33(46)/2023

प्रेषक,

प्रभु एन 0 सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ 0 प्र 0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 21/06/2023

विषय- उ 0 प्र 0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के लिये वित्तीय वर्ष 2023-24 में मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित बजट रू0 500.00 लाख में से द्वितीय किश्त के रूप में रू0 83.33 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 191 रा0 आ 0 प्र 0 प्रा/2023-24, दिनांक 02 जून, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-51 के लेखाशीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-06-उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख में से द्वितीय किश्त के रूप में रू0 83.33 लाख आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के वेतन एवं गैर वेतन मद हेतु वित्तीय स्वीकृति देते हुये निम्न विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ 0 प्र 0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र 0	मद	वित्तीय वर्ष 2023-24 में आवंटित बजट	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि	अवशेष धनराशि
1	गैर वेतन मद 2245-80-800-06-00-20	500.00	83.33	83.33	333.34
	योग	500.00	83.33	83.33	333.34

(रूपये तिरासी लाख तैतीस हजार मात्र)

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
- (2) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (3) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0 42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 83.33 लाख (रूपये तिरासी लाख तैतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-051 के अन्तर्गत 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-06-उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- E-5-29-X-2023-24 , दिनांक- 20.06.2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

Signed by प्रभु नारायण भवदीय,
सिंह
Date: 21-06-2023 16:56:51
Reason: Approved (प्रभु एन 0 सिंह)
सचिव।

संख्या- 825 (1) /एक-10-2023-33(46)/2023, तद्विनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (प्रथम)/आडिट प्रथम, उ 0 प्र 0, प्रयागराज।
- 2- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ 0 प्र 0।
- 3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ 0 प्र 0 शासन।
- 4- वित्त नियंत्रक, उ 0 प्र 0, राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि प्रसाद सिंह)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वितीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-28/06/2023

प्रेषण संख्या:-

825

आवंटन आदेश संख्या:-

001-825

अनुदान संख्या:-

51 राजस्व विभाग (द्वि विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वितीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:-

2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेतर-मतदेय)

80 - सामान्य

800 - अन्य व्यय

06 - उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वित्त)	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान 8333000 प्रणामी 16666000	8333000 16666000
	योग	वर्तमान 8333000 प्रणामी 16666000	8333000 16666000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रणामी आवंटन):-

रूपया तिरसी लाख तैतीस हजार
रूपया एक करोड़ छियासठ लाख छियासठ हजार

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी